

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड,
शहीद भगत सिंह कॉलोनी,
अधोईवाला देहरादून, टेलीफोन-0135-2780122

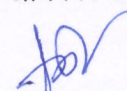
पत्र संख्या- 59 / नि.अ.क./ई-24412/56 (2)वाहन / 2026-27 दिनांक 30 अप्रैल, 2026

विज्ञप्ति

कार्यालय प्रयोगार्थ किराये के वाहनों की आपूर्ति संबंधी निविदा सूचना-2

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून हेतु डीजल/पेट्रोल/सी.एन.जी. चलित वाहनों को मासिक/दैनिक किराये के आधार पर लेने हेतु देहरादून के अनुभवी व पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों/ट्रान्सपोर्टर्स से मोहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र (तकनीकी एवं वित्तीय) एवं अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र में उल्लिखित हैं। स्पष्ट रूप से भरे गये निविदा प्रपत्र कार्यालय में रक्षित रजिस्टर में अंकनोपरान्त स्थापित सीलबंद निविदा बाक्स में दिनांक 15.05.2026 सांय: 05:00 बजे तक जमा की जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली पंजीकृत डाक/डाक से प्राप्त निविदाएँ भी उक्त बाक्स में जमा की जायेगी। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. पूर्व विज्ञप्ति के क्रम में प्राप्त 03 निविदाओं में तकनीकी रूप से अर्ह 02 निविदा पाई गई। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि तकनीकी रूप से न्यूनतम 03 फर्मों की उपस्थिति आवश्यक है। अतः पुनः अल्पवधि निविदाएँ आमंत्रित की जा रही हैं।
2. पहले से तकनीकी रूप से अर्ह 2 फर्मों को पुनः तकनीकी निविदा एवं धरोहर राशि जमा करने से छूट रहेंगी। ऐसी फर्मों को केवल वित्तीय निविदा ही सीलबन्द बाँक्स में प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी रूप से अनर्ह पाई गई फर्म को पुनः आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदकों को धरोहर राशि जमा करने में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
3. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन की तिथि 01.05.2026 निविदा प्रपत्र पूर्ण अभिलेखों के साथ कार्यालय में जमा किये जाने की तिथि 15.05.2026 (सांय: 05:00 बजे तक) (कार्यालय में स्थापित निविदा बाक्स में)
4. तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 16.05.2026 (पूर्वाह्न 11:30 बजे) प्राप्त निविदाएं खोली जाएंगी निविदादाता उक्त बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें दिनांक 16.05.2026 (पूर्वाह्न 11:30 बजे) खोली जायेंगी।
5. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट <https://minoritywelfare.uk.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. निविदादाताओं को समस्त पत्राचार उनके पते पर/ई-मेल/whatsapp पर की जायेगी।
7. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त अभिलेखों पर फर्म की मुहर/हस्ताक्षर एवं पृष्ठ संख्या अकिता किया जाना अनिवार्य होगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार किये जाने का अधिकार निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण में निहित होगा।

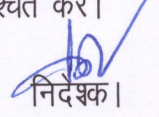

(गिरधारी सिंह रावत)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आनुपालनार्थ प्रेषित।

1. शिक्षा सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. विभागीय क्रय समिति के सदस्यगणों को इस अण्डस से कि कृपया दिनांक 16.05.2026 को आहूत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
3. सम्पादक, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि कृपया या उक्त निविदा सूचना को दैनिक समाचार पत्रों के देहरादून संस्करण में 10X10 (LXB) Size में डी.ए.वी. पी. दरों पर नियमानुसार प्रकाशित करते हुये बिल भुगतान हेतु निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. श्री जगदीश, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति से सम्बन्धित निविदा प्रपत्रों को विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।


निदेशक।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून
तकनीकी निविदा प्रपत्र-(1)

अनुक्रमणिका (INDEX)

वाहन आपूर्ति हेतु निविदा (Tender) के साथ संलग्न दस्तावेजों का विवरण।

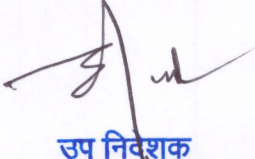
क्र.स.	दस्तावेज का विवरण	संलग्न (हो/नही)	पृष्ठ संख्या
1	अनुभव एवं संतोषजनक कार्य का 03 वर्ष अनुभव प्रमाण पत्र (सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, एवं संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त)		
2	CA ऑडिटेड बैलेंस शीट पिछले 03 वर्षों की (न्यूनतम 30 लाख टर्न ओवर/प्रति वर्ष)		
3	आधार कार्ड की (स्व सत्यापित छायाप्रति)		
4	पैन कार्ड की (स्व सत्यापित छायाप्रति)		
5	FDR संख्या एवं विवरण		
6	सर्विस टैक्स/सर्विस आई.डी संख्या		
7	जी.एस.टी पंजीकरण प्रमाण-पत्र		
8	पत्राचार हेतु मो0 नम्बर / ई-मेल आईडी/पता		
9	आयकर रिटर्न पिछले 03 वर्षों की प्रतियां (स्व सत्यापित)		
10	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र		
11	ब्लैकलिस्ट न होने का शपथ पत्र ₹100 के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर।		
12	अन्य दस्तावेज (यदि कोई हो)		

महत्वपूर्ण निर्देश:-

- **Page Numbering:-** संलग्न किये जा रहे उपरोक्त दस्तावेजों पर नंबरिंग किया जाना अनिवार्य होगा और वही नंबर ऊपर दी गई तालिका (Index) में भी भरें। अन्यथा संबंधित फर्म की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- **हस्ताक्षर:-** प्रत्येक संलग्न पृष्ठ(Page) पर फर्म की मुहर और अधिकृत के हस्ताक्षर आवश्यक है (Self-attestation)
- **दस्तावेजों का क्रम:-** दस्तावेजों को उपरोक्तानुसार क्रम में ही व्यवस्थित करें जैसा कि इंडेक्स में दिया गया है, अन्यथा तकनीकी मूल्यांकन के समय आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा

मैं..... (फर्म के मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम), यह घोषणा करता हूँ कि इस निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेज मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य और सही हैं। मेरे द्वारा सभी दस्तावेजों का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है। दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि, विसंगति या पृष्ठ क्रम में त्रुटि होने पर मेरी निविदा निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।


उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक
 निविदादाता का नाम
 एजेन्सी की मुहर
 मो.न0
 ई-मेल

नोट:- निविदा फार्म स्पष्ट पठनीय भरा जाए।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून

तकनीकी निविदा प्रपत्र-(2)

तकनीकी अर्हता एवं उपलब्ध वाहनों का विवरण

(वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी बिड का हिस्सा)

अनिवार्य तकनीकी शर्त (Technical Mandate)

ट्रेवल एजेंसी/फर्म/वाहन स्वामी के पास स्वयं के स्वामित्व में या फर्म के नाम पर डीजल,पेट्रोल एवं सी. एन.जी चलित न्यूनतम 04 वाहन (टैक्सी परमिट पर पंजीकृत) होना अनिवार्य है। इन वाहनो का मेक मॉडल वर्ष 2024 या उसके बाद का होना चाहिए। साथ ही,संबंधित वाहनों की तकनीकी वैधता (Fitness,Insurance, Permit) अकिंत कर दस्तावेज क्रम से संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

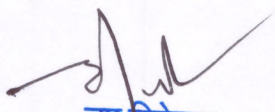
2- फर्म के स्वामित्व वाले वाहनों का विवरण:-

क्र.सं.	वाहन का नाम (Make/Model)	वाहन पंजीकरण संख्या (Registration No)	मॉडल वर्ष (Model Year)	ईंधन का प्रकार(Diesel/ Petrol/CNG)	इश्योरेंस (Insurance)	प्रदूषण (Pollutation)	वैधता तिथि(Fitness /Permit)
1	स्विफ्ट डिजायर (Swift Dzire AC)						
2	इनोवा क्रिस्टा(Inova Crysta AC)						
3	मारुति अर्टिगा (Ertiga AC)						
4	बोलेरो (Bolero AC)						

महत्वपूर्ण घोषणा (Self-Declaration):

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी वाहन 'कॉमर्शियल टैक्सी परमिट' के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।
- सभी वाहनों के दस्तावेज (RC., Insurance, Pollution, Fitness) वर्तमान में वैध हैं और अनुबंध अवधि के दौरान भी वैध रखे जाएंगे।
- विभाग को आवश्यकता होने पर अतिरिक्त वाहन 01 घण्टे के भीतर उपलब्ध कराना होगा।

दिनांक
निविदादाता का नाम
एजेंसी की मुहर
मो.न0
ई-मेल


उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड
शहीद भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला –उत्तराखण्ड,
देहरादून।

E-Mail: ukdirectorminority@gmail.com

☎ Telefax-0135: 2780122

कार्यालय प्रयोग हेतु किराये के वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी
निविदा प्रपत्र वर्ष 2026-27

फर्म का नाम

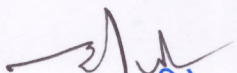
.....
.....

(वांछित संलग्नों सहित प्रथम लिफाफे हेतु)

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 अथवा आगामी 03-वर्ष के लिए देहरादून के अनुभवी पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों/ट्रान्सपोर्टर्स से मोहरबन्द निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा के दो भाग होंगे तकनीकी निविदा प्रपत्र (1) एवं (2) एवं वित्तीय निविदा। निविदादाताओं की अर्हता, अनुभव तथा धरोहर राशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार विवरण (प्रपत्र-(1) एवं (2) पर) के साथ एक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में “तकनीकी निविदा” एवं एजेंसी/फर्म का नाम मोबाईल न0 व ई-मेल आई.डी अंकित होगा। धरोहर राशि के रूप में रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) की राशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड-देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, एफ0डी0आर0 या बैंक गारंटी के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने के दिनांक से अगले 45 दिन तक वैध हो।

वित्तीय निविदा पृथक लिफाफे में केवल प्रपत्र-3 पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों हेतु किराये की दरें अंकित की जायेंगी। इस प्रपत्र को एक अन्य लिफाफे में रखा जायेगा जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में “वित्तीय निविदा” लिखा जायेगा। वित्तीय निविदा तथा तकनीकी निविदा के लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा जिस पर “किराये के वाहनों हेतु निविदा” तथा निविदादाता का नाम, मोबाईल न0 व ई-मेल आई.डी लिखा जायेगा।

1. निविदा प्रपत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड -01.05.2026
2. निविदा प्रपत्र पूर्ण अभिलेखों के साथ डाउनलोड/जमा किये जाने की तिथि-15.05.2026 (सांय: 05:00 बजे तक) (कार्यालय में स्थापित निविदा बाक्स में)
3. प्राप्त निविदाओं को खोला जाना -16.05.2026 (पूर्वाह्न 11:30 बजे) प्राप्त निविदाएँ समिति के सदस्यों की उपस्थिति में खोली जायेगी निविदादाता उक्त बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं। तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त केवल तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें दिनांक 16.05.2026 (पूर्वाह्न 11:30 बजे) को खोली जायेंगी।


उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड देहरादून।

- स्पष्ट रूप से भरे गये निविदा प्रपत्र कार्यालय में रक्षित रजिस्टर में अंकनोपरान्त स्थापित सीलबंद निविदा बॉक्स में डाले जायेंगे।

पात्रता की आवश्यक शर्तें—

- निविदादाता को टैक्सी सर्विस संचालित किये जाने में न्यूनतम 03 वर्ष का सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।
- ट्रेवल एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी के पास स्वयं के स्वामित्व/फर्म के नाम डीजल, पेट्रोल एवं सी.एन.जी चलित न्यूनतम 04 वाहन (स्विफ्ट डिजायर, इनोवा किस्टा, मारुती अर्टिगा एवं बोलेरो) टैक्सी परमिट पर पंजीकृत होना आवश्यक होगा, जिनका मेक मॉडल वर्ष 2024 या उसके बाद का होना चाहिए तथा सम्बन्धित वाहनों की तकनीकी वैद्यता अवधि कालातीत नहीं होनी चाहिए।
- निविदादाता फर्म/एजेन्सी/वाहन स्वामी के विगत तीन वर्षों में वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 30 लाख होना चाहिए तथा इन वर्षों में फर्म घाटे में नहीं रही हो (सी0ए0 बैलेस शीट संलग्न होनी चाहिए)।
- वाहनों की मासिक/दैनिक दरें मय ईंधन सहित प्रति किलो मीटर दर्शायी जायेगी।
- आधार संख्या
- पैन संख्या
- जी.एस.टी नम्बर
- मोबाईल (Whatsapp No). ई-मेल आई.डी
- बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी कोड
- सर्विस टैक्स संख्या
- विगत 03 वर्षों का आई.टी.आर रिटर्न।
- चरित्र प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)
- फर्म के ब्लैकलिस्ट न होने का शपथ पत्र रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर घोषणा।
(उपरोक्त क्रम में वांछित अभिलेख निविदा पत्र के साथ क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जायेंगे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।)

वाहनों की मांग एवं आपूर्ति—

निदेशालय हेतु आवश्यकतानुसार वाहन/वाहनों की नियमित रूप से मासिक आधार पर आवश्यकता होगी। उसके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य वाहनों की भी उत्तराखण्ड राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु आवश्यकता पड़ती रहती है। चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा स्वीकृत आदेश के जारी होने की तिथि से समय-समय पर मांग के अनुसार मुख्यालय तथा उपर्युक्त स्थलों पर वाहनों की आपूर्ति की जायेगी।

सफल निविदादाता/निविदादाताओं को कार्यालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाने हेतु निदेशालय के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। अनुबंध की अवधि प्रारम्भिक तौर पर 31 मार्च, 2027 तक होगी जिसे संतोषजनक कार्य/आपसी सहमति से अग्रेत्तर 01-01 वर्ष अधिकतम 03 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। निदेशालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता से


उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

किया गया अनुबंध समाप्त किया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त करने का अधिकार निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण में निहित होगा।

चयन प्रक्रिया-

निविदा हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा प्राप्त तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं को ही खोला जायेगा।

वित्तीय निविदा में प्रतिवाहन मूल दर तथा कर आदि अलग-अलग स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। डीजल/पेट्रोल/सी.एन.जी चालित वाहनों के प्रकार के अनुसार ए0सी0/नान ए0सी0, पहाड़/मैदान, दूरी (कि0मी0) दिन आदि मानकों को ध्यान में रखते हुये दरें अंकित की जाय। प्रपत्र-3 के अन्य विवरण कॉलम में मानकों के अनुसार दरों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

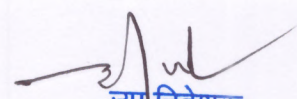
तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं की तुलनात्मक विवरण के आधार पर जिस निविदादाता की दरों सबसे कम होंगी, उसे सफल घोषित किया जायेगा। मासिक आधार पर व दैनिक आधार पर अथवा अलग अलग प्रकार के वाहनों के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओं को भी चयनित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को कार्यालय द्वारा डाक/ई-मेल के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा व अनुबंध किये जाने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। चयनित निविदादाता के निर्धारित समय तक अनुबंध हेतु उपस्थित न होने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व अलगे निविदादाता को अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। अन्तिम रूप में न्यूनतम दरों के लिए नेगोसियेशन भी किया जा सकेगा।

जमानत राशि (Security Money)-

सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर रुपये 25000/ (पच्चीस हजार मात्र) की जमानत राशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम एफ.डी.आर. अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करना आवश्यक होगा, जो कि अनुबंध किये जाने के पश्चात कम से कम 01 वर्ष की अवधि तक वैध हो, जमानत राशि अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी, परन्तु ("पहले से तकनीकी रूप से अर्ह 2 फर्मों को पुनः तकनीकी निविदा एवं धरोहर राशि जमा करने से छूट रहेंगी। ऐसी फर्मों को केवल वित्तीय निविदा ही सीलबन्द बॉक्स में प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी रूप से अनर्ह पाई गई फर्म को पुनः आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदक को धरोहर राशि जमा करने में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी")

भुगतान-

किराये का भुगतान नियमानुसार बिल प्रस्तुत करने के 1 माह के अन्तराल में अथवा बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग, गन्तव्य स्थान, गन्तव्य स्थान से वापसी का दिनांक व स्थान, यात्रा समाप्ति का मीटर रीडिंग तथा कुल तय की गई दूरी यात्रा उद्देश्य आदि विवरण संलग्न करना होगा। लॉग बुक में मासिक आधार पर किये गये वाहन सम्बन्धी प्रविष्टियां सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सत्यापित की जायेगी। तत्पश्चात् बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। वाहन का भुगतान अनुमोदित दर

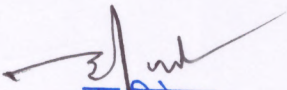

उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

(मासिक/दैनिक किराया मय ईधन) के आधार पर किया जायेगा। भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण का निर्णय अंतिम होगा।

निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें

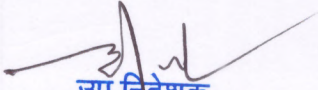
प्रश्नगत निविदा के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में निम्नांकित नियम एवं शर्तें भी लागू होगी, जिनकी पुष्टि में आवश्यक साक्ष्य संलग्न करना आवश्यक होगा :—

- 1- निविदा की शर्तों से इतर अन्य शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा व निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- 2- फर्म/एजेन्सी का सेवा पंजीकरण, पैन न0, आयकर रिटर्न की विगत वित्तीय वर्षों की प्रति एवं वाहनों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी से पंजीकरण प्रपत्रों (फिटनेस तथा वाहन बीमा) की प्रतियां अनिवार्य रूप में संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदादाता को विगत 03 वर्ष का सरकारी विभागों में वाहन संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र एवं इस अवधि में विभिन्न राजकीय विभागों किये गये कार्य के सापेक्ष विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी विवरण प्रपत्र-1 व 2 पर भी अंकित किया जायेगा।
- 3- ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व/फर्म के नाम न्यूनतम 4 टैक्सी वाहन (स्विफ्ट डिजायर, इनोवा, इनोवा क्रिस्टा, मारुती अर्टिगा एवं बोलेरो) पंजीकृत होना आवश्यक होगा, सम्बन्धित वाहन की तकनीकी वैद्यता अवधि कालातित नहीं होना चाहिए। मासिक आधार पर वर्ष 2024 या उसके बाद के वाहन उपलब्ध करवाने होंगे। सफल निविदादाता को 100/-रु0 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध निष्पादित कर निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी एवं ट्रेवल एजेन्सी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के क्रम में भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तरदायी नहीं होगा।
- 4- ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह आपूर्ति किये जा रहे वाहनों के पंजीकरण/करों की देयता इत्यादि औपचारिकतायें आपूर्ति से पूर्व सुनिश्चित कर लें एवं इस आशय का प्रमाण-पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाए। आपूर्ति किये जाने वाले समस्त वाहन परिवहन विभाग से टैक्सी श्रेणी में पंजीकृत होने चाहिए।
- 5- उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के भीतर रोपित किये जाने वाले समस्त करों, रोड टैक्स एवं अन्य वैधानिक देयताओं हेतु सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म उत्तरदायी होंगी।
- 6- चालक का मानदेय, वाहन का रख रखाव एवं वाहन की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, को सम्बोधित एजेन्सी/फर्म द्वारा वहन करना होगा। चालक का कार्य व व्यवहार शिष्ट


उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

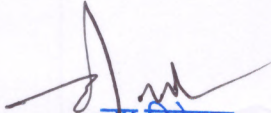
होना चाहिए। ड्राइविंग करते समय वाहन में धूम्रपान, गुटखा खाने तथा मोबाईल प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

- 7- प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म को अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की यात्राओं में प्रदेश के बाहर देय करें तथा टोल टैक्स का भुगतान यात्रा विवरण के साथ भुगतान की गयी धनराशि के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा कोषागार के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
- 8- सामान्यतः मांग के अनुसार वाहन की कार्य करने की अवधि 10 घंटे होगी जो प्रातः 9.00 बजे से सायः 7.00 बजे तक नियत होगी। उक्त समय सीमा का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया जायेगा जो सफल निविदाता फर्म/एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा।
- 9- मासिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनों को प्रत्येक माह में एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) वाहन की सर्विसिंग/मरम्मत कराये जाने हेतु अनुमन्य होगा। किन्तु विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु अवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिये गये वाहनों को बुलाया जा सकता है। जिसके लिए निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 10- मासिक आधार पर अनुबंधित किये गये वाहन का किराया वित्तीय बिड में अंकित किया जायेगा, माह के कुछ दिनों मुख्यालय से बाहर की गई यात्राओं पर भी मासिक किराया ही लागू होगा। इसके लिए अतिरिक्त मांग नहीं की जाएगी।
- 11- यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर फर्म को 01 घण्टे के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म/सेवा प्रदाता के बिल में से उतनी राशि की कटौती कर ली जायेगी जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।
- 12- सेवा प्रदाता के वाहन चालकों के पास पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव व ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा। वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से मोबाईल फोन रखना होगा। जिसका रख-रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म स्वामी का होगा।
- 13- वाहनों के संचालन की गणना निदेशालय एवं यात्रा करने वाले अधिकारी के आवास से की जायेगी एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक एवं अन्तिम मीटर रीडिंग का अंकन रनिंग रजिस्टर में करते हुए सत्यापन किया जायेगा। वाहन द्वारा गैराज से अधिकारी के आवास अथवा वापसी में एक ओर की यात्रा हेतु वास्तविक दूरी अथवा 5 किमी जो भी कम हो की दूरी अनुमन्य होगी। वाहन चालकों को वाहन के रख-रखाव, साज-सज्जा, सफाई, अनुशासन, आज्ञापालन, एवं समयबद्धता का विशेष पालन करना होगा। वाहन चालक के किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान निदेशालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 14- कार व टैक्सी का चालक किसी भी अधिकारी व कार्मिकों से यात्रा अवधि में किसी भी प्रकार की धनराशि अथवा अन्य सुविधाओं की मांग नहीं करेगा।
- 15- निदेशालय से बाहर जाने पर चालक की समस्त रात्रि व्यवस्था एवं अतिरिक्त व्यवस्थाएँ (यदि कोई हो) सम्बन्धित फर्म ही करेगी।


उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड देहरादून।

- 16- वाहन चालकों को ड्यूटी अवधि में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करनी होगी।
- 17- अनुबन्धित फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के साथ वाहन से सम्बन्धित सभी वैधानिक कागजात वाहन में रखने अनिवार्य होंगे।
- 18- वाहन चालक के बीमा तथा अन्य वैधानिक देयताओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म स्वामी की होगी।
- 19- अनुबन्धित वाहन की Log-Book कार्यालय में जमा की जायेगी।
- 20- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को किसी भी समय स्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 21- निविदाताओं के साथ समस्त पत्राचार उनके पता, ई-मेल अथवा whatsapp Mobile No पर किया जायेगा।

हस्ताक्षर
दिनांक
निविदादाता का नाम
एजेन्सी की मुहर
मो.न०
ई-मेल


उप निदेशक
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वितीय लिफाफे हेतु
निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून
वित्तीय निविदा प्रपत्र-3
वित्तीय बिड़ (किराये के वाहन हेतु)

पेट्रोल वाहन हेतु

क्र.स	वाहन का प्रकार	वाहन की एवरेज मय ईंधन		किराये की दर (₹ में)		
				दैनिक मय ईंधन		
		पर्वतीय क्षेत्रों	मैदानी क्षेत्रों	मासिक सभी मार्गों में	देहरादून के अन्दर	देहरादून से बाहर
1	स्विफ्ट डिजायर AC					
2	मारुती अर्टिगा AC					

डीजल वाहन हेतु

क्र.स	वाहन का प्रकार	वाहन की एवरेज मय ईंधन		किराये की दर (₹ में)		
				दैनिक मय ईंधन		
		पर्वतीय क्षेत्रों	मैदानी क्षेत्रों	मासिक सभी मार्गों में	देहरादून के अन्दर	देहरादून से बाहर
1	इनोवा किस्टा AC					
2	बोलेरो AC					

सी.एन.जी. वाहन हेतु

क्र.स	वाहन का प्रकार	वाहन की एवरेज मय ईंधन		किराये की दर (₹ में)		
				दैनिक मय ईंधन		
		पर्वतीय क्षेत्रों	मैदानी क्षेत्रों	मासिक सभी मार्गों में	देहरादून के अन्दर	देहरादून से बाहर
1	स्विफ्ट डिजायर AC					
2	मारुती अर्टिगा AC					

मैं लिखित रूप से अपनी सहमति देता हूँ कि निविदा की सभी नियम व शर्तें मुझे मान्य हैं तथा उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर वाहन आपूर्ति के लिए मैं इच्छुक हूँ। यदि मुझे स्वीकृत आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं रुपये 100.00 के गैर अदालती स्टैम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये राजी हूँ। मैंने सभी शर्तों का भली भांति अध्ययन कर लिया है।


 उप निदेशक
 निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

हस्ताक्षर
 दिनांक
 निविदादाता का नाम
 एजेन्सी की मुहर
 मो.न०
 ई-मेल